भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 42**
21.06.2019 को उत्तर के लिए

**वनों में आग**

42. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ हिना गावीतः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल के महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में वनों में आग लगने की रिपोर्ट की गई घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके कारण हुई मौतों/नष्ट हुई सार्वजनिक संपत्ति और वन-संपदा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में वनों में आग लगने की घटनाओं में खतरनाक तरीके से वृद्धि के संबंध् में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने वनों की आग से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने वनों में आग को रोकने के लिए स्थानीय सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान/प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का वनों में आग को नियंत्रित करने के लिए समुदायों और वन विभागों को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर जन सामाजिक आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का वनों में लगने वाली आग से मुकाबला करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली हेतु कोई तंत्र स्थापित करने और नई प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) महोदय, जब भी वनों में आग लगने की घटना होती है, भारतीय वन सर्वेक्षण दावानल का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न राज्यों को अग्नि की चेतावनी जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जनवरी 2019 से 16 जून, 2019 तक सूचित की गई दावानल की घटनाओं का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 81.91 लाख रूपये तक की वन संपदा के नष्ट हो जाने और उत्तराखंड में 55.08 लाख रूपये तक की वन संपदा के नष्ट हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा मानवीय क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसी अन्य राज्य से इस प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से दावानल की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में अध्ययन कराया है और 'भारत में दावानल प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण'' अभिशीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावानल निवारण, उसका पता लगाने, उसे नियंत्रित करने, आग लगने के पश्चात प्रबंधन, समुदायों के साथ समन्वय, अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय आदि के संबंध में विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दावानल संबंधी कार्य योजना जिसे अप्रैल 2018 में जारी किया गया था, को तैयार करने में अध्ययन से प्राप्त सूचना का उपयोग किया गया था।

(ग) जी हां। मंत्रालय ने वनों की आग से प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों को दावानल निवारण और प्रबंधन स्कीम से वित्तीय सहायता प्रदान की है। गत तीन वर्षों (31.3.2019 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

(घ) दावानल निवारण और प्रबंधन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता में जागरूकता अभियान/दावानल का निवारण करने में स्थानीय समुदाय के स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य वन विभाग दावानल निवारण के लिए जन जागरूकता और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यकलाप करता है।

(ड.) राज्य/संघ शासित प्रदेश के वन विभागों में दावानल का निवारण और नियंत्रण सहित विभिन्न वन सुरक्षा और संरक्षण उपायों में स्थानीय समुदाय, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) और पारि-विकास समितियां (ईडीसी) आदि भी शामिल है।

(च) राष्ट्रीय दावानल कार्य योजना, दावानल आपदा में प्रभावी प्रतिक्रिया का प्रावधान करती है जिसके परिणाम-स्वरूप आग प्रभाव में कमी और त्वरित पुन:बहाली होती है क्योंकि देशभर में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहले से भेजी गई उपग्रह आधारित दावानल चेतावनियों की प्रणाली कार्यरत है। राष्ट्रीय दावानल कार्य योजना के अनुसार, दावानल का मुकाबला करने के लिए दावानल का जल्दी पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए एक समर्पित फोन लाईन और वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए वॉचटावर्स की स्थापना, ग्राउंड क्रू स्टेशन और फायर स्टेशन की अवस्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना और पैरामिलिट्री शिविरों आदि को दावानल नियंत्रण हेतु त्वरित प्रतिक्रिया और वन स्टाफ और स्थानीय समुदायों की पहुंच के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। अत्यधिक संवेदनशील दावानल आशंसित क्षेत्रों के समीप विभिन्न स्थानों पर दावानल का मुकाबला करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया हेतु अग्निशमन उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

*****

**अनुबंध I**

**वनों में आग के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ॰ हिना गावीत द्वारा दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 42 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

वर्ष 2019 के दौरान एमओडीआईएस सेंसर्स का उपयोग करते हुए एफएसआई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सूचित की गई दावानल की चेतावनियों की संख्या (इसमें बड़ी, सतत और बार-बार लगने वाली दावानल) की संख्या शामिल है।

| राज्य | दावानल चेतावनियां (1 जनवरी 2019 से 16 जून-2019) |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 1731 |
| अरुणाचल प्रदेश | 848 |
| असम | 1893 |
| बिहार | 200 |
| चंडीगढ़ | 0 |
| छत्तीसगढ | 1581 |
| दादरा और नागर हवेली | 0 |
| दमन और दीव | 0 |
| दिल्ली | 2 |
| गोवा | 9 |
| गुजरात | 206 |
| हरियाणा | 14 |

| | |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 116 |
| जम्मू और कश्मीर | 35 |
| झारखंड | 354 |
| कर्नाटक | 1130 |
| केरल | 191 |
| लक्षद्वीप | 0 |
| मध्य प्रदेश | 2622 |
| महाराष्ट्र | 2302 |
| मणिपुर | 1729 |
| मेघालय | 1511 |
| मिजोरम | 2793 |
| नागालैंड | 1000 |
| ओडिशा | 1915 |
| पुडुचेरी | 0 |
| पंजाब | 33 |
| राजस्थान | 370 |
| सिक्किम | 9 |
| तमिलनाडु | 748 |
| तेलंगाना | 1181 |
| त्रिपुरा | 1194 |
| उत्तर प्रदेश | 784 |
| उत्तराखंड | 1502 |
| पश्चिम बंगाल | 243 |
| कुल | 28,252 |

**अनुबंध-।।**

**वनों में आग के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ॰ हिना गावीत द्वारा दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 42 के भाग ( ग और घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**(लाख में)**

| **क्रम सं.** | **राज्य** | **2016-17 जारी** | **2017-18 जारी** | **2018-19 जारी** |
|---|---|---|---|---|
| **अन्य राज्य** | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 260.06 |
| 2 | बिहार | 88.59 | 75.00 | 57.17 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 211.04 | 168.00 | 104.60 |
| 4 | गुजरात | 122.26 | 75.00 | 92.16 |
| 5 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 87.83 |
| 6 | हरियाणा | 93.91 | 75.00 | 0.00 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 331.36 | 276.70 | 0.00 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 95.61 | 75.00 | 0.00 |
| 9 | झारखंड | 199.63 | 105.00 | 107.84 |
| 10 | कर्नाटक | 203.27 | 105.00 | 174.70 |
| 11 | केरल | 163.65 | 234.53 | 279.57 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 281.15 | 168.00 | 628.25 |
| 13 | महाराष्ट्र | 372.58 | 321.58 | 787.28 |
| 14 | ओडिशा | 266.14 | 168.00 | 435.00 |
| 15 | पंजाब | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 16 | राजस्थान | 174.22 | 105.00 | 98.82 |
| 17 | तमिलनाडु | 74.29 | 105.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | तेलंगाना | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 139.72 | 75.00 | 100.61 |
| 20 | उत्तराखंड | 304.03 | 168.00 | 438.38 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 92.83 | 75.00 | 54.14 |
| | **कुल** | **3214.28** | **2554.81** | **3706.41** |
| **पूर्वोत्तर और सिक्किम** | | | | |
| 1 | असम | 0 | 0.00 | 93.23 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 181.34 | 102.00 | 89.08 |
| 3 | मणिपुर | 125.02 | 219.88 | 230.54 |
| 4 | मेघालय | 126.57 | 104.63 | 113.53 |
| 5 | मिजोरम | 131.29 | 90.59 | 110.47 |
| 6 | नगालैंड | 170.01 | 92.56 | 83.12 |
| 7 | सिक्किम | 119.73 | 148.59 | 0.00 |
| 8 | त्रिपुरा | 190.76 | 66.00 | 109.73 |
| | **कुल** | **1044.72** | **824.25** | **829.70** |
| **केंद्र शासित प्रदेश** | | | | |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 56.23 | 9.00 | 26.41 |
| 2 | चंडीगढ़ | 74.52 | 8.00 | 1.00 |
| 3 | दादर और नागर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | नई दिल्ली | 50.00 | 30.00 | 0.00 |
| 7 | पांडिचेरी | 0.00 | 30.00 | 49.84 |
| | **कुल** | **180.75** | **77.00** | **77.25** |
| | **कुल योग** | **4439.75** | **3456.06** | **4613.36** |

*****